परिशिष्ट "अ"

पत्र दि. 8/7/15

कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक भोपाल रेन्ज (शहर)

क्र. उमनि/भोरे/शहर/री/संदे–16–डी/13–15 दिनांक–08.07.2015

प्रति,

अपर संचालक
आदिवासी विकास म.प्र.
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :– श्री जानराव हेड़ाउ, नामदेव हेड़ाउ आ. श्री विष्णु हेड़ाउ के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पूरक प्रतिवेदन।

संदर्भ :–
1) कार्यालयीन पत्र क्र./उमनि/भोरे/संदे–16–डी/13–15 दिनांक 29.01.15
2) आपका पत्र क्र./जा.प्र./समिति/1025/2012/7146 दिनांक 31.03.15
3) पुअ अजाक भोपाल रेंज का पत्र क्र./पुअ/अजाक/भो.रे/रीडर/संदे–216/2015 दिनांक 16.06.15
4) उपुअ अजाक प्रथम भोपाल का पत्र क्र./उपुअ/प्रथम/अजाक/भो/रीडर/शिका. 21/15 दिनांक 16.06.15

––00––

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक अजाक भोपाल रेन्ज ने अपने संदर्भित पत्र में लेख किया कि टंकण त्रुटि के कारण अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अनुसूचित जाति लेख हो गया है, जिसे अनुसूचित जनजाति पढ़ा जावे।

आपके संदर्भित पत्र के अनुसार संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र के संबंध में 05 बिन्दुओं पर पुनः जांच की गई। अनावेदक श्री जानराव हेड़ाउ एवं नामदेव हेड़ाउ के छोटे भाई मनोज हेड़ाउ तथा माँ पार्वती बाई के कथन लेख किये गये, जो संलग्न हैं। उक्त दोनों अनावेदकों द्वारा प्रारूप–07 में अपने गोत्र एवं गोत्र चिन्ह (टोटम) के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। वर्ष 1950 की स्थिति के संबंध में तहसील पाण्ढुर्णा एवं नगरपालिका पाण्ढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के निवास होने के संबंध में राजस्व अभिलेख होना नहीं पाया गया।

पूरक जॉच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण जॉच नस्ती

पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय, जिला भोपाल

MBhati
5/12/15

परिशिष्ट "ज"

पत्र क्र 31-3-15

4

...ज्य आयुक्त, आदिवासी विकास
(राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति)
मध्यप्रदेश

क्रमांक / जा.प्र.समिति / 1025 / 2012 / 7146 भोपाल, दिनांक 31/3/15

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषयः—जानराव हेडाऊ आत्मज श्री विष्णु हेडाऊ, उप संचालक कृषि के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में।

संदर्भः—आपका पत्र कमांक / उमनि / भोरे / शहर / री / संदे–16–डी / 13—15 दिनांक 29.1.2015

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जानराव हेडाऊ आत्मज श्री विष्णु हेडाऊ के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन में निम्नानुसार कमियां पायी गई है :—

1. कार्यालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक / 139 / क़ानूनगो / सूअधि / 2015 दिनांक 12.1.2015 अनुसार जाति प्रमाण पत्र कमांक 554 / 89 दिनांक 25.3.92 पर नामदेव, जानराव पुत्र विष्णु हेडाऊ डाकतार कॉलोनी जाति हल्बा दर्ज होना पाया गया है। उक्त पत्र के साथ दायरा पंजी वर्ष 91–92 की छायाप्रति संलग्न प्राप्त नहीं हुई है। यह भी विवादित है कि दो भाइयों के जाति प्रमाण पत्र एक ही क्रमांक 554 से कैसे जारी हो सकते हैं, विवेचना अधिकारी ने इस पर टीप नहीं दी है। कृपया तहसीलदार से संबंधित अनावेदक के जाति प्रमाण पत्र का राजस्व अभिलेख / प्रकरण तथा यदि प्रकरण विनिष्ट कर दिया हो तो विनिष्टीकरण की सूची प्राप्त की जावें।
2. उप पुलिस अधीक्षक, प्रथम अजाक जिला भोपाल के पत्र दिनांक 23.1.2015 जिसमें जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता के परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप नं.7 को अनावेदक के माध्यम से पूर्ण कराया गया लेख किया गया है, **निर्धारित प्रपत्र की प्रति संलग्न नहीं है।**
3. अनावेदक के प्राथमिक शाला जवाहर प्राथमिक विद्यालय पांढुरना जिला छिंदवाड़ा के दाखिला पंजी की सत्यापित प्रति तथा अनावेदक के छोटे भाई मनोज हेडाऊ के दाखिला पंजी का उल्लेख है, प्रति प्रदान की जावें।
4. अनावेदक एवं उसकी मॉ पार्वती बाई व संजय खेतकर निवासी पांढुरना जिला छिंदवाड़ा के कथन उल्लेख अनुसार संलग्न नहीं है, उपलब्ध कराये जावें।
5. वर्ष 1950 की स्थिति में छिंदवाड़ा जिले के निवासी होने संबंधी अभिलेखों, तथ्यों की पूर्ण जांच की जावें।

उप अ. (अ.जा.क.)

-परिशिष्ट "स"

प.ताक्री के.

कार्यालय पुलिस अधीक्षक अजाक, भोपाल रेंज

क्र./पुअ/अजाक/भो.रे./रीडर/संदे–216 /2015 भोपाल, दिनांक–16.06.15

प्रति,

श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक
(शहर रेंज) जिला–भोपाल

विषयः– श्री जानराव हेडाऊ आ. श्री विष्णु हेडाऊ के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच बाबत्।

संदर्भः– पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) भोपाल के पत्र कमांक/उमनि/भोरे/शहर/री/16–ए/13–15 दिनांक–25.04.15 के पालन में।

-----00-----

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि श्री जानराव हेडाऊ आत्मज विष्णु हेडाऊ एवं नामदेव हेडाऊ आत्मज श्री विष्णु हेडाऊ के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक अजाक भोपाल द्वारा की गई है। संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त आयुक्त आदिवासी विभाग राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति ने पत्र कमांक–जा.प्र.समिति/1025/2012/7146 दिनांक 31.03.15 के द्वारा जानराव हेडाऊ के जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में कमियां होना एवं पत्र कमांक–जा.प्र.समिति/254/2003/7144 दिनांक 31.03.15 के द्वारा नामदेव हेडाऊ के जाति प्रमाण पत्र की जांच कें संबंध में कमियां होना लेख किया था, उक्त संबंध में उप पुलिस अधीक्षक अजाक भोपाल से प्रतिवेदन प्राप्त किया है, जिन्होने अपने प्रतिवेदन कमांक/उपुअ/प्रथम/अजाक/भो/शिका–21/15 दिनांक–16.06.15 में लेख किया है कि "श्री जानराव हेडाऊ, नामदेव हेडाऊ आत्मज श्री विष्णु हेडाऊ के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र का जांच प्रतिवेदन दिनांक–23.01.15 को पत्र कमांक/पुअ/अजाक/भोरेभो/342/14 दिनांक–23.01.15 को भेजा गया था, जिसमें फार्म नम्बर–7 तहसील कार्यालय हुजूर की दायरा पंजी वर्ष 1991,1992 की छायाप्रति, अनावेदक जानराव हेडाऊ, नामदेव हेडाऊ व उसके छोटे भाई मनोज हेडाऊ की शासकीय जवाहर प्राथमिक शाला पाडुर्ना के दाखिला पंजी की छायाप्रति, अनावेदक जानराव हेडाऊ, नामदेव हेडाऊ, उनकी मॉ श्रीमती पार्वती बाई, साक्षी संजय रेवतकर के कथनों सहित मूल आवेदन पत्रों के साथ संलग्न 14 प्रतियॉ तथा 34 सहपत्र पूर्व में जांच कर संलग्न कर भेजे जा चुके है। श्रीमान के उपरोक्त संदर्भित पत्र के पालन में बिन्दु कमांक 05 की जानकारी अनावेदक जानराव हेडाऊ, नामदेव हेडाऊ आत्मज विष्णु हेडाऊ का 1950 की स्थिति में जिला छिन्दवाड़ा के निवासी होने संबंधी अभिलेख की जानकारी तहसील कार्यालय एवं नगर पालिका कार्यालय पाढुर्ना जिला दिन्दवाड़ा से ली गई, किंतु 1950 की स्थिति में कोई दस्तावेजी जानकारी नहीं होने से उपलब्ध नहीं हुई है।

उप पुलिस अधीक्षक अजाक जिला भोपाल द्वारा तस्तीक उपरांत प्रेषित चाही गई जानकारी श्रीमान की ओर कृपया अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

16/06/2015

(राजेश सिंह भदौरिया)
पुलिस अधीक्षक, अजाक